

समाहरणालय, पलामू।

(जिला समाज कल्याण)

अल्पकालिन निविदा सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची के आवंटनादेश संख्या 101/आ0 राँची, दिनांक 20.10.2016 वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रमशः जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना/अन्य क्षेत्रीय उपयोजना एवं विशेष अंगीभूत उपयोजना अन्तर्गत विकलांगो को विशेष यंत्र एवं कृत्रिम अंग प्रत्यंग प्रदान करने के लिए आपूर्ति हेतु दिनांक 09.12.2016 को निविदा आमंत्रित की गयी थी, पुनः दिनांक ~~17.12.16~~ ^{21.12.16} को अपराहन 01:00 बजे तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, पलामू में जमा ली जायेगी। तथा दिनांक ~~17.12.16~~ ^{21.12.16} को 03:00 बजे अपराहन तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायेगी।

आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियो का विवरण निम्नवत है :-

क्र0	सामग्री का नाम	क्र0	सामग्री का नाम
1	Tricycle	12	Walking Stick
2	Wheel Chair (Adult)	13	Pair of Crutch (Adult)
3	Wheel Chair (Child)	14	Pair of Crutch (Child)
4	Blind Stick	15	L/S Belt
5	Rt. Dynamic Cock-up Splint	16	Hearing Aid
6	Pair of Modified Shoes (Adult)	17	Post spinal support
7	Pair of Modified Shoes (Medium)	18	C.P. Walker
8	Pair of Modified Shoes (Child)	19	Cervical collar
9	K.F.O. (Adult)	20	H.K.F.O. (Adult)
10	K.F.O. (Medium)	21	H.K.F.O. (Child)
11	K.F.O. (Child)	22	Elbow Crutch

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार है :-

- निविदादाता को विक्री कर/आयकर अधिनियम अन्तर्गत निबंधन का प्रमाण पत्र तथा अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 25,000.00 (पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पद नाम से बना हुआ जमा कराना होगा।
- निविदादाता द्वारा निविदित दर में ही सभी प्रकार के कर एवं परिवहन व्यय संयुक्त होगा। तथा सामग्रियों की आपूर्ति जिला मुख्यालय/प्रखण्ड मुख्यालय में पहुँचाकर करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय/हथालन व्यय देय नहीं होगा।

4. निविदादाता को सामग्रियों का दर एवं आई.एस.आई. मार्क को स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा एक सामग्री का एक ही दर अंकित करेंगे।
5. स्वीकृत निविदादाता को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू के समक्ष एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।
6. स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 21 दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति करना बाध्यकारी होगा।
7. नमूने के अनुरूप सामग्रियों के आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर सामग्रियों का उठाव कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनः नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति करना होगा।
8. निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नमूने के अनुरूप सामग्रियों के आपूर्ति नहीं करने पर निविदादाता की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। तथा उनके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।
9. अपरिहार्य कारणों से निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. अनु 0 पदा 0/उपायुक्त के स्तर से निर्गत अधतन चरित्र प्रमाण पत्र, जो पिछले छः माह के अन्दर निर्गत हुआ है, प्रस्तुत करना होगा।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
पलामू

उपायुक्त,
पलामू।